न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन् सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी – नयन गौतम, आई.ए.एस.

वाद पत्र संख्या 110/2025

अन्तर्गत धारा 53, 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

दीपक बुड़ानिया पुत्र श्री राजेन्द्र बुड़ानिया जाति जाट जन्म दिनांक 23/12/2002 निवासी गांव दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)

......वादी

बनाम

(1). राजेन्द्र प्रसाद पुत्र बिहारीलाल } जाति जाट निवासी गांव दौलतपुरा तह. श्रीगंगानगर
(2). श्रीमती सावित्री पत्नी राजेन्द्र प्रसाद } जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)

(3). अल्का {पुत्री श्री राजेन्द्र प्रसाद} पत्नी श्री मनोज कुमार जाति जाट निवासी चक 2 ईई ढ़ाणी ग्राम पंचायत सांवतसर तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर (राज0)

(4). अन्जु {पुत्री श्री राजेन्द्र प्रसाद} पत्नी श्री चरणजीत जाति जाट निवासी किलांवाली तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)

(5). रेखा {पुत्री श्री राजेन्द्र प्रसाद} पत्नी श्री सन्दीप कुमार जाति जाट निवासी चक 17 बीबी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर (राज0)

(6). प्रियंका {पुत्री श्री राजेन्द्र प्रसाद} पत्नी श्री अनिल कुमार जाति जाट निवासी धिंगतानिया तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)

(7). स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज0)

........प्रतिवादीगण

उपस्थित–अधिवक्ता श्री शुभम पारीक — वादी
अधिवक्ता श्री ऋषिपाल जोशी — प्रतिवादी 1 ता 6
पैरोकार राज — प्रति.–7

–:: निर्णय ::–

दिनांक 08.08.2025

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि प्रतिवादी संख्या 1 वादी के पिताजी, प्रतिवादी संख्या 2 वादी की माताजी है। प्रतिवादी संख्या 3 से 6 वादी की बहने है। चक 4 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अंतिम चौसला [illegible] 2072–2075 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 66/51 के [illegible] 16 के [illegible] नम्बर [illegible] 1(0.202 है.), 3/2(0.025 है. खाला), 4/1(0.202 है.), 4/2(0.026 है. खाला), [illegible] खाला), 6/1(0.050 है. खाला), 7, 8, 13, 14, 17, 18, 23, 24 (प्रत्येक में 0.253 है.) कुल 2.75[illegible] [illegible] (2.680 है. नहरी + 0.077 है. खाला} कृषि भूमि वादी के पिताजी/प्रतिवादी संख्या 1 राजेन्द्र पुत्र बिहारी[illegible] के नाम से जमाबन्दी मुताबिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.08.19 10:25:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व रिकार्ड में दर्ज कागजात राज है। चक 4 क्यू के खाता संख्या 66/51 की जमाबन्दी की प्रति संलग्न वाद पत्र है। चक 4 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अंतिम चौसला आधार सम्वत् 2072–2075 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 64/30 के मुरब्बा नम्बर 8 के किला नम्बर 1(0.126 है.), 10(0.253 है.), 11(0.253 है.), 17(0.126 है.), 19/1(0.127 है.), 20(0.253 है.) कुल 1.138 है. नहरी कृषि भूमि वादी के पिताजी/प्रतिवादी संख्या 1 राजेन्द्र कुमार पुत्र बिहारीलाल के नाम से जमाबन्दी मुताबिक राजस्व रिकार्ड में दर्ज कागजात राज है। चक 4 क्यू के खाता संख्या 64/30 की जमाबन्दी की प्रति संलग्न वाद पत्र है। वादी के पिताजी/प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज उक्त वर्णित चक 4 क्यू के खाता संख्या 66/51 की कृषि भूमि हिन्दू संयुक्त परिवार की पैतृक कृषि भूमि है जो वादी दादाजी द्वारा अपने जीवनकाल में किये गये बंटवारनामा इंतकाल संख्या 260 दिनांक 30/01/2008 के द्वारा वादी के पिताजी/प्रतिवादी संख्या 1 व इनके भाईयों के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई एवं चक 4 क्यू के खाता संख्या 64/30 की कृषि भूमि वादी के दादाजी बिहारीलाल पुत्र बींझाराम से जरिये उपहार पत्र इंतकाल संख्या 353 दिनांक 20/04/2012 के द्वारा वादी के पिताजी/प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त हुई है। उक्त वर्णित दोनों खातों की कृषि भूमि वादी के दादाजी से वादी के पिताजी/प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त हुई होने के कारण विरास्तन सम्पति है उक्त विरास्तन जायदाद में वादी का जन्म से ही हक व अधिकार है जिसे वादी घोषित करवाने का अधिकारी है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने पारस्परिक सहमति से किए गए घरेलू समझौता अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज चक 4 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अंतिम चौसला आधार सम्वत् 2072–2075 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 66/51 के मुरब्बा नम्बर 16 की कुल 2.757 है. {2.680 है. नहरी + 0.077 है. खाला} में से मुरब्बा नम्बर 16 के किला नम्बर 3/1(0.202 है.), 3/2(0.025 है. खाला), 8, 13, 18, 23, 24 (प्रत्येक में 0.253 है.) कुल 1.492 है. {1.467 है. नहरी + 0.025 है. खाला} कृषि भूमि वादी दीपक बुड़ानिया पुत्र श्री राजेन्द्र बुड़ानिया जाति जाट निवासी गांव दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) को घरेलू बंटवारा में दी गई थी जिस पर वादी काबिज काश्त है। उक्त घरेलू बंटवारा में आई कृषि भूमि वादी के नाम दर्ज ना होने के कारण, वादी को उस पर कोई भी मालिकाना हक एवं राजस्व सम्बन्धी हक व अधिकार हासिल नहीं है। वादी उक्त कृषि भूमि का अपनी इच्छानुसार उपयोग व उपभोग नहीं कर सकता है, ना ही वह इस पर कृषि ऋण, सहकारी ऋण, मुआवजा आदि की सुविधा ले सकता है इसलिए वादी अपने हिस्से में आई कृषि भूमि को अपने नाम से दर्ज करवाने व लगान अलग करवाने का अधिकारी है। वादी ने, प्रतिवादी संख्या 1 को दिनांक 04/05/2025 को, वादी को बंटवारा में दी गई कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतू कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 ने ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये है, यही बिनाय मुखास्मत है। प्रतिवादी संख्या 2 से 6 प्रतिवादी संख्या 1 के वारिस होने एवं प्रतिवादी संख्या 7 लैण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार संयोजित किए गए है। वाद पत्र, वाद कारण से अन्दर मियाद प्रस्तुत किया जा रहा है एवं श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है तथा 2 रु. के न्याय शुल्क पर पेश है। अतः वाद पत्र पेश करके निवेदन है कि वादी का वाद पत्र, प्रतिवादीगण के खिलाफ स्वीकार किया जाकर दावा निम्न प्रकार सादिर फरमाया जावे :–

(क) कि प्रतिवादी संख्या 1 राजेन्द्र के नाम दर्ज चक 4 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अंतिम चौसला आधार सम्वत् 2072–2075 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 66/51 के मुरब्बा नम्बर 16 की कुल 2.757 है. {2.680 है. नहरी + 0.077 है. खाला} में से मुरब्बा नम्बर 16 के किला नम्बर 3/1(0.202 है.), 3/2(0.025 है. खाला), 8, 13, 18, 23, 24 (प्रत्येक में 0.253 है.) कुल 1.492 है. {1.467 है. नहरी + 0.025 है. खाला} कृषि भूमि वादी दीपक बुड़ानिया पुत्र श्री राजेन्द्र बुड़ानिया जाति जाट निवासी गांव दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) की घोषित की जाकर अलग से लगान कायम कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावे।

(ग) वादी को खर्चा मुकदमा दिलवाया जावे।

(घ) कि अन्य कोई अनुतोष जो माननीय न्यायालय वादी के हित में उचित ... जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.08.19 10:25:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया।

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 द्वारा राजीनामा पेश किया गया। राजीनामा में अंकित तथ्यानुसार उक्त अनवानी शीर्षक दावा में पक्षकारान का पंचायत वा मौतबिरान लोगो ने राजीनामा करवा दिया है तथा पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपनी स्वेच्छा से राजीनामा कर लिया है। पक्षकारान का अब कोई मनमुटाव नहीं रहा है। घरेलू बंटवारानुसार प्रतिवादी संख्या 1 राजेन्द्र प्रसाद के नाम चक 4 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अंतिम चौसला आधार सम्वत् 2072–2075 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 66/51 के मुरब्बा नम्बर 16 की कुल 2.757 है. {2.680 है. नहरी + 0.077 है. खाला} में से मुरब्बा नम्बर 16 के किला नम्बर 3/1(0.202 है.), 3/2(0.025 है. खाला), 8, 13, 18, 23, 24 (प्रत्येक में 0.253 है.) कुल 1.492 है. {1.467 है. नहरी + 0.025 है. खाला} कृषि भूमि वादी दीपक बुड़ानिया पुत्र श्री राजेन्द्र बुड़ानिया जाति जाट निवासी गांव दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) को बंटवारा में दी गई है। अतः उक्त राजीनामानुसार प्रतिवादी संख्या 1 राजेन्द्र प्रसाद पुत्र बिहारीलाल के नाम चक 4 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अंतिम चौसला आधार सम्वत् 2072–2075 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 66/51 के मुरब्बा नम्बर 16 की कुल 2.757 है. {2.680 है. नहरी + 0.077 है. खाला} में से मुरब्बा नम्बर 16 के किला नम्बर 3/1(0.202 है.), 3/2(0.025 है. खाला), 8, 13, 18, 23, 24 (प्रत्येक में 0.253 है.) कुल 1.492 है. {1.467 है. नहरी + 0.025 है. खाला} कृषि भूमि वादी दीपक बुड़ानिया पुत्र श्री राजेन्द्र बुड़ानिया जाति जाट निवासी गांव दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) की घोषित की जाकर उक्तानुसार डिक्री जारी कर दी जावे व उक्त अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर दिया जावे तो पक्षकारान उसमें पूर्णतः सहमत है। लिहाजा यह राजीनामा पक्षकारान ने अपने साबते होशो हवास में लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपने स्वेच्छा से तहरीर करवा दिया है ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत काम आवे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर की ओर से स्टेट जवाब पेश हुआ।

वादी एवं प्रतिवादी के मध्य राजनामा होने एवं किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं होने के कारण विवाद्यक कायम नहीं किये गये।

साक्ष्य वादी में दीपक बुडानिया पुत्र श्री राजेन्द्र बुडानिया जाति जाट निवासी गांव दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर का शपथ पत्र पेश किया गया। साक्ष्य वादी में जमाबंदी सम्वत् 2072–2075 चक 4 क्यू, पटवार हल्का दौलतपुरा भू.अ.नि. दौलतपुरा खाता संख्या 66/51 प्रदर्श–1, जमाबंदी सम्वत् 2072–2075 चक 4 क्यू, पटवार हल्का दौलतपुरा भू.अ.नि. दौलतपुरा खाता संख्या 64/30 प्रदर्श–2, विरास्तन इंतकाल सम्बन्धी जमाबंदी सम्वत् चक 4 क्यू, पटवार हल्का दौलतपुरा भू.अ.नि. मिर्जेवाला खाता संख्या 260/34 प्रदर्श–3, जमाबंदी सम्वत् चक 4 क्यू, पटवार हल्का दौलतपुरा भू.अ.नि. मिर्जेवाला खाता संख्या 353/30 प्रदर्श–4, प्रदर्शित करवाये गये। वादी द्वारा शपथ पत्र तादादी 50/– रूपये इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि वाद में वर्णित कृषि भूमि की बाबत भारत वर्ष के किसी भी न्यायालय में कोई वाद या कार्यवाही विचाराधीन नहीं है। उक्त अनवानी वाद में मेरे पिताजी राजेन्द्र प्रसाद पुत्र बिहारी लाल के समस्त वारिसान को पक्षकार संयोजित कर वाद दायर किया गया है। उक्त वाद में संयोजित पक्षकारान के अलावा मेरे पिताजी का अन्य कोई वारिस नहीं है। उक्त वाद में वर्णित कृषि भूमि के ऋण भार की बाबत पक्षकारान में कोई विवाद नहीं है, यदि ऋण भार की बाबत कोई जवाब देही होती है तो उसके लिए [illegible] स्वयं उत्तरदायी रहेगा। उक्त वाद में वर्णित सम्पत्ति विरास्तन सम्पत्ति है जिसमे मेरा जन्म से हक व अधिकार है।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत् 2072–2075 चक 4 क्यू, पटवार हल्का दौलतपुरा भू.अ.नि. दौलतपुरा खाता संख्या 66/51 प्रदर्श–1, जमाबंदी सम्वत् 2072–2075 चक 4 क्यू, पटवार हल्का दौलतपुरा भू.अ.नि. दौलतपुरा खाता

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.08.19 10:25:38 IST
Reason: SelfAttested

Gautam
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

संख्या 64/30 प्रदर्श–2, विरास्तन इंतकाल सम्बन्धी जमाबंदी सम्वत् चक 4 क्यू, पटवार हल्का दौलतपुरा भू.अ.नि. मिर्जेवाला खाता संख्या 260/34 प्रदर्श–3, जमाबंदी सम्वत् चक 4 क्यू, पटवार हल्का दौलतपुरा भू.अ.नि. मिर्जेवाला खाता संख्या 353/30 प्रदर्श–4 पेश की गई। वादी द्वारा विरास्तन इंतकाल जमाबंदी खाता संख्या 16/22 दिनांक 20.11.2073 की प्रमाणित प्रति पेश की गई। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत जमाबन्दियों के साक्ष्य से वादग्रस्त आराजी का पैतृक होना साबित होता है। प्रकरण में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य किसी प्रकार का प्रतिवाद नहीं है। वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य पारिवारिक सहमति हो चुकी है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तवेजात, जमाबन्दी साक्ष्य, एवम् प्रस्तुत साक्ष्यों के अवलोकन से न्यायालय वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किये जाने योग्य पाता है।

हमने इस सम्बंध में आरआरडी 1981 पेज 512, आरटीए की धारा 40–53, 38–39–40, आरआरडी 1966 पेज 71, एआईआर 1976 ;एससीद्ध पेज 807 व 178, आरआरडी पेज 219 आरआरडी 1975–478, एआईआर 1966 ;एससीद्ध 432 आरआरडी 1975 पेज 489 की नजीरों का अवलोकन किया।

उल्लेखनीय है कि राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड ऑफ रेवन्यु) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवं आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौते के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। हिन्दु उतराधिकार विधि के अनुसार वारिसान का पैतृक सम्पंति में जन्म से ही अधिकार है।

मुताबिक एआईआर 1976 एससी 807 के अनुसार यदि हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखाधड़ी या किसी के प्रभाव में न हो, पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है।

–:: आदेश ::–

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 राजेन्द्र के नाम दर्ज चक 4 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अंतिम चौसला आधार सम्वत् 2072–2075 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 66/51 के मुरब्बा नम्बर 16 की कुल 2.757 है. {2.680 है. नहरी + 0.077 है. खाला} में से मुरब्बा नम्बर 16 के किला नम्बर 3/1(0.202 है.), 3/2 (0.025 है. खाला), 8, 13, 18, 23, 24 (प्रत्येक में 0.253 है.) कुल 1.492 है. {1.467 है. नहरी + 0.025 है. खाला} कृषि भूमि वादी दीपक बुड़ानिया पुत्र श्री राजेन्द्र बुड़ानिया जाति जाट निवासी गांव दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) को खातेदार घोषित किया जाता है। खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा जारी किया जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि के बैंक रहन मुक्त होने की दशा में नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 08.08.2025 को जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.08.19 10:25:38 IST
Reason: SelfAttested

(नयन गौतम आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
पदेन सहायक कलक्टर,
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner